प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश,शिविर लखनऊ।

सेवा में

1. समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

2. समस्त अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)

उत्तर प्रदेश।

संख्याः /शि0का0लख0/2003 दिनांक

विषयः रेटलिस्ट संशोधन की प्रक्रिया में स्टाम्प तथा निबन्धन विभाग के अधिकारियों की लिखित संस्तुतियां प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्टाम्प देयता हेतु रेटलिस्ट(सर्किल रेट) संशोधित करने के सम्बन्ध में कार्यालय के पूर्व प्रेषित परिपत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करें। परिपत्र संख्या 1463/ शि0का0लख0/2003 दिनांक 31.05.2003 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि रेटलिस्ट तैयार/संशोधित करने की प्रक्रिया में उपनिबन्धकों की पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए। परन्तु अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश के अनेक जनपदों में रेटलिस्ट तैयार करते समय विभागीय अधिकारियों की संस्तुतियाँ प्राप्त नही की जाती है। जबकि विभागीय अधिकारी स्टाम्प एक्ट सम्बन्धी अपने लम्बे तकनीकी अनुभव के आधार पर इस मामलें में महत्वपूर्ण एवं विवेचनात्मक भूमिका अदा कर सकते है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि सर्किल रेट/रेटलिस्ट संशोधन या विसंगति दूर करने की प्रक्रिया में जनपद के उप निबन्धकों तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प) पर उत्तरदायित्व डालते हु एइस सम्बन्ध में प्रस्ताव पर इनकी लिखित संस्तुतियाँ पत्रावली पर प्राप्त कर ली जानी चाहिए। साथ ही साथ इस कार्य में राजस्व कर्मियों/अधिकारियों तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा जिलाधिकारीगण की सक्रिय भूमिका अत्यावश्यक है।

अतः आप कृपया भविष्य में रेटलिस्ट की विसंगतियां दूर करने या संशोधन की प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों के विभागीय तकनीकी ज्ञान एवं लम्बे अनुभव का लाभ लेते हु एउपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0/-

(प्रभास कुमार झा)

महानिरीक्षक निबन्धन,उत्तर प्रदेश

शिविर लखनऊ।

संख्या 3506(1)/शि0का0लख0/2003 दिनांक 10.09.2003

प्रतिलिपिः समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रभास कुमार झा)
महानिरीक्षक निबन्धन,उत्तर प्रदेश
शिविर लखनऊ